हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म	
[illegible]-22	वकील उभयपक्ष उप०। प्रतिवादी सं. 10 ता 14 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाकर पत्रावली 2C/04 विधि से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
26/2004	23.2.2004	5.12.2022

जमनी देवी वगैरा   बनाम   सुबुद्धी वगैरा

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, भूमि विभाजन एंवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थित :— श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट वादीगण की ओर से

श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट,प्रतिवादी सं0 10 से 14 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी मुकदमों मे दिनांक 16.12.2013 को जरिए वकील प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 मधू वगैरा निवासी गंगापुर सिटी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने अपने दावे में कथन किया है कि आराजी गत ख0नं0 716 रकबा 4 बीघा अकेले सुबुद्धी के नाम सन् 1963 में आवंटित हुई है। इस प्रकार यह भूमि पहले सिवायचक अर्थात राज्य सरकार की भूमि थी। आवंटन के बाद भूमि सुबुद्धी की गैरखातेदारी में तत्पश्चात् खातेदारी में दर्ज हुई। इस तरह यह भूमि सुबुद्धी की स्वअर्जित सम्पत्ती है। स्वअर्जित भूमि में उसके भाईयों या अन्य सम्बन्धियों का कोई हिस्सा नहीं होता है। सुबुद्धी ने अपनी भूमि गत ख0नं0 716 से बने वर्तमान ख0नं0 1817 रकबा 1.00 है0 को प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेच दिया है तथा नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के हक में खुल चुका है। आवंटित (स्वअर्जित) भूमि के सम्बन्ध में क्रयकर्ता के भाई व अन्य सम्बन्धियों को दावा लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है और कोई वादकारण भी उन्हें उत्पन्न नहीं होता है। मौजूदा दावे में वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए यह दावा रिजेक्ट किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पेश कर अर्ज है कि दावा रिजेक्ट (खारिज) फरमाया जावे।

वादीगण द्वारा अपने जबाब प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण ने कानून के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। वादीगण को वादकारण विरूद्ध प्रतिवादी दिनांक 3.2.2004, 4.2.2004, 22.1.2004 को उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा उठाए गए प्रश्न पर सर्वप्रथम तनकीकायम होगी उसके बाद [illegible] की साक्ष्य ली जाकर प्रश्नों का निर्धारण होगा। वास्तविकता यह है कि वादिया जमनादेवी का पती स्वर्गीय भौरया व जमनी देवी, वादीगण 2 लगायत 4 अनपढ,अशिक्षित गरीब काश्तकार हैं। साबिक ख0नं0 716 रकबा 4 बीघा हाल खसरा नम्बर 1817 रकबा 1.00 है0 स्थित ग्राम टोकसी पुश्तैनी कब्जे की जमीन रही है। भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। यह भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार के कब्जे की चली आ रही है। इस पर 50 वर्षो से भौरया व जमनीदेवी का कब्जा रहा है व 40 वर्षो से रामसहाय, बाबू, रामदयाल का कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि को हम सभी परिवारजन ने मिलकर शामलाती राशि खर्च कर काबिज काश्त बनाया है। कर्ता खानदान सबसे बडा भाई भौरया व जमनी कीसन्तान में सुबुद्धी ही रहा है। सभी की सहमति से यानि भौरया व जमनी ने उक्त जमीन साबिक ख0 नं0 716 रकबा 4 बीघा अकेले सुबुद्धी के नाम सन् 1963 में आवंटन करा दी । अलोटमेंट से पूर्व से वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 शामिल चले आ रहे थे। वादीगण व प्रतिवादीगण के समस्त भाई बहनों का विवाह शामिल में हुआ। सबसे अन्त में प्रतिवादी प्रेम का विवाह हुआ, 27 वर्ष पूर्व में हुआ प्रेम के विवाह के 2 वर्ष बाद हमने उक्त भूमि का बंटवारा किया जिसमें स्व0 श्री प्रभू व प्रतिवादी मुक्ति ने जमीन में हिस्सा नहीं लिया व चन्द्रो, प्रेम, लाडबाई ने भी हिस्सा नहीं लिया तथा हम चारो भाई व मां जमनी ने जमीन को रखा। जिसमें उक्त जमीन के 4 हिस्से भाईयों ने बांट लिए। जमनी के छोटे भाई रामदयाल के पास रख लिया जिसमें 4 ने तय किया कि एक एक बोरी अनाज दे दिया करेंगे। इस प्रकार उक्त भूमि के मौके पर 4 हिस्से है। गंगापुर करौली रोड पर सबसे प्रथम हिस्सा रामदयाल का है जो एक बीघा है, दूसरा हिस्सा रामसहाय का है,तीसरा हिस्सा सुबुद्धी का है। चौथा हिस्सा बाबू का है। इस प्रकार मौके पर भूमि के हमारे परिवार के हिसाब से 4 हिस्से हैं। यह बंटवारा हमने करीब 25 वर्ष पूर्व जेठ सुदी पूर्णिमा सं0 2044 में किया था। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादी सुबुद्धी गांव कलसाडे में जाकर रहने लग गया। उसने अपने हिस्से की एक बीघा जमीन मिती जेठ सुदी 15 सं0 2052 को 12000/–रू0 लेकर वादी रामदयाल को विक्रय कर दी। विक्रयनामा की लिखावट रामदयाल की बही में कर दी व भूमि पर कब्जा रामदयाल को संभला दिया। इस प्रकार वादी रामसहाय का 1 बीघा भूमि पर, बाबू का एक बीघा भूमि पर व रामदयाल का 2 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। वादी का दावा कृषि भूमि से सम्बन्धित है तथा दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती,स्थाई निषेधाज्ञा एवं शून्य घोषित किए जाने बयनामा अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 राज0 टीनेन्सी एक्ट प्रस्तुत न्यायाल[illegible] योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी [illegible] खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभय [illegible] सुनी गई।

प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अनुसार बहस करते हुए कहा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स०मा०)

वादग्रस्त भूमि साबिक ख0नं0 716 रकबा 4 बीघा सुबुद्धी के नाम सन् 1963 में आवंटित हुई थी जो सुबुद्धी की स्वअर्जित सम्पत्ती है। इससे वादीगण का कोई वास्ता नहीं है। इस भूमि के नवीन खसरा नम्बर 1817 रकबा 1.00 है0 बना है जो सुबुद्धी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 को बेच दिया है एवं भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 के नाम खुल चुका है। वादीगण ने गलत वादकारण के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है एवं प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 के नाम हुए रजिस्टर्ड बेचान को प्रस्तुत वाद के माध्यम से अवैध, शून्य व बेअसर तथा प्रभावहीन घोषित कराना चाहते हैं जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, सिविल न्यायालय ही रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त कर सकती है। वादीगण का दावा विधि विरूद्ध है एवं आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत चलने योग्य नहीं है। अपने कथन के समर्थन में प्रतिवादीगण के वकील ने न्याय दृष्टान्त 2021(1) आर0आर0टी0 पेज 27, पेज 535, पेज 444 प्रस्तुत किए हैं।

वादीगण के विद्धान वकील ने अपनी बहस मे कहा कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का पचासो वर्षो से कब्जा चला आ रहा था। कर्ताखान होने के कारण भौरया ने वादग्रस्त भूमि सुबुद्धी के नाम लगवा दी जबकि मौके पर वादीगण का व सुबुद्धी का भूमि पर 1/4, 1/4 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है। भूमि अकेले सुबुद्धी के नाम दर्ज हो जाने के कारण उसने भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 को विक्रय कर दी जिसका सुबुद्धी को कोई अधिकार नहीं था। वादीगण ने प्रस्तुत वादपत्र में भूमि की खातेदारी घोषणां चाही है एवं प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 के पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को अवैध, शून्य व बेअसर, प्रभावहीन घोषित करने की रिलीफ चाही है क्योंकि भूमि कृषि की है एवं इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख , प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का आदरपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2059 से 2062 के अनुसार वादग्रस्त भूमि सुबुद्धी पुत्र भौरया कुम्हार के नाम खातेदारी में दर्ज है। अपने वादपत्र में वादीगण ने स्वयं ने यह अंकित किया है कि भूमि अकेले सुबुद्धी के नाम लगवा दी गई एवं दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 भी कहते हैं कि भूमि सुबुद्धी की आवंटनशुदा भूमि है। इनसे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि सुबुद्धी की स्वअर्जित भूमि रही है। इस आधार पर सुबुद्धी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र भूमि प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स0रा0)

को बेची है एवं इस बेचान के अनुसार भूमि जरिए नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। यहां वादीगण प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 के पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अवैध, शून्य व बेअसर, प्रभावहीन घोषित करवाने की रिलीफ प्रस्तुत वाद में चाह रहे हैं। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2022(1) पेज 440 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त करने की रिलीफ केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है। हम इस न्याय दृष्टान्त से पूर्णतया सहमत हैं एवं यह मानते हैं कि पंजीबद्ध विक्रय पत्र को निरस्त कराए बिना वैध खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है तथा पंजीबद्ध विक्रयपत्र को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। फलस्वरूप यह दावाआदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के सिद्धान्तों से बाधित है एवं इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 मधू वगैरा द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2013 स्वीकार किया जाकर दावा 26/2004 उनवानी जमनी देवी वगैरा बनाम सुबुद्धी वगैरा विधि से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. जमनी देवी पत्नी स्व0 भोरया (मृतक)
2. रामसहाय पुत्र भोरया, कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
3. बाबू पुत्र भोरया, कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
4. रामदयाल पुत्र भोरया, कुम्हार निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी——वादीगण

बनाम

1. सुबुद्धी पुत्र भोरया (मृतक)
1/1.श्रीमती कल्याणी देवी बेवा सुबुद्धी, प्रजापत नि0टोकसी तह0गंगापुर सिटी
1/2.रामकन्या पुत्री स्व0 सुबुद्धी पत्नी कैलाश,प्रजापत नि0डाबरा तह0सपोटरा
1/3.विजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0सुबुद्धी,प्रजापत नि0 अनाजमंडी वजीरपुर तह0वजीरपुर
2. लाडबाई पुत्री स्व0 भोरया पत्नी टीकम निवासी मंडावर रोड, हिण्डौन सिटी
3. चन्द्रा पुत्री स्व0 भोरया पत्नी मदन निवासी वैर जिला भरतपुर
4. प्रेम पुत्री स्व0 भोरया पत्नी गिर्राज निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुरसिटी
5. गोपाल पुत्र प्रभु, प्रजापत कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
6. शोभाराम पुत्र प्रभु, प्रजापत कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
7. विश्राम पुत्र प्रभु, प्रजापत कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
8. देवीलाल पुत्र प्रभु, प्रजापत कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
9. मुक्ति पत्नी प्रभु, प्रजापत कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
10.मधु पत्नी लक्ष्मीनारायण, महाजन नि0 वार्ड नं0 34 गंगापुर सिटी
11.मधु पत्नी विनोद कुमार, ब्राह्मण नि0 वार्ड नं0 9 गंगापुर सिटी
12.सुनीता पत्नी डा0 दिनेश गुप्ता, महाजन नि0 वार्ड नं0 9 गंगापुर सिटी
13.पुष्पलता पत्नी प्रदीप कुमार, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
14.प्रदीप कुमार पुत्र छैलबिहारी शर्मा, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
15.लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नं. —26/2004

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 मधू वगैरा द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पंत्र दिनांक 16.12.2013 स्वीकार किया

जमनी देवी वगैरा बनाम सुबुद्धी वगैरा, दावा

(2)

जाकर दावा 26/2004 उनवानी जमनी देवी वगैरा बनाम सुबुद्धी वगैरा विधि से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 5.12.2022 को जारी किया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested